Court Case No - 516/23.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-336/MP/15/2022-ESDW

श्री जे.एन. कांसौटिया,
अपर मुख्य सचिव,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन क्र.1, तृतीय मंजिल ,
मंत्रालय, भोपाल,मध्य प्रदेश
ई-मेल: pshort@mp.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 14.06.2023 को अपराहन 05:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, 6 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले TSP/TSS/STC की राशि के दुरूपयोग की जांच एवं इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डी. गोपाल राव, भोपाल, मध्य प्रदेश का दिनांक 10.10.2021 का अभ्यावेदन ।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 18.04.2022.

सन्दर्भ 3: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 21.04.2023.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 05, जून, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मोहर

राष्ट्रीय अ. सूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003